प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4548 सन् 2004

शिबोराम यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर के माध्यम से एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

16.11.2006

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4548 सन् 2004

शिबोराम यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, कलेक्टर के माध्यम से एवं अन्य

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री ए.एस. कच्छवाहा, शासकीय अधिवक्ता — उत्तरवादी/राज्य की ओर से।

आदेश

(दिनांक 17 नवम्बर, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया।

1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आक्षेपित दिनांक 22.05.2004 (अनुबंध **P**/1) के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त नियम, 1975 (संक्षेप में **"**नियम, 1975**"**) के नियम 13(**vii**) के अंतर्गत, प्राकृतिक न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किए बिना, तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 13.05.1993 से उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधीन कलेक्टर दर पर मासिक आधार पर **"**आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी**"** के रूप में पदस्थ कियागयाथा।

   दिनांक 01.05.2004 को कारण बताओ सूचना (अनुबंध **P**/2) जारी की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कार्यालय में रखी गई ₹4,22,908/- की राशि चोरी हो गई है तथा उक्त कथित कदाचार के कारण याचिकाकर्ता को सेवा से क्यों न पृथक किया जाए। याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.05.2004 को अपना उत्तर (अनुबंध **P**/3) प्रस्तुत कर सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। इसके पश्चात उत्तरवादीगण द्वारा केवल प्रारंभिक जांच के आधार पर, याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना, नियम 13(**vii**) के अंतर्गत सेवा से पृथक करने का अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, रायपुर के समक्ष दिनांक 22.05.2004 को अभ्यावेदन (अनुबंध **P**/4) प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि सेवा से पृथक करने जैसी कठोर दंडात्मक कार्यवाही से पूर्व विधिवत विभागीय जांच कराई जाए, किंतु उक्त अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उपरोक्त से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 22.05.2004 के आदेश को निरस्त किए जाने तथा सेवा में पुनः बहाली के साथ पूर्ण बकाया वेतन एवं समस्त परिणामी लाभ प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को कार्यालय की त्रुटि के लिए दंडित किया गया है। कथित चोरी की गई रु. 4,22,908/- राशि याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं थी। उत्तरवादी क्रमांक 3 के कार्यालय में पदस्थ एक लिपिक, श्री संतोष चौरसिया द्वारा कथित रूप से दिनांक 07.04.2004 को कर्मचारियों के वेतन की राशि आहरित की गई। यह आरोप लगाया गया कि श्री संतोष चौरसिया उक्त वेतन राशि को अपने कक्ष में ले गए तथा उसे अपने कक्ष में स्थित अलमारी में रख दिया, जो उनके नियंत्रणाधीन थी। कथित रूप से दिनांक 07.04.2004 की रात्रि में उक्त राशि की चोरी हो गई। यह न तो सत्यापित किया गया और न ही सिद्ध किया गया कि जिस थैले में कथित राशि रखी गई थी, उसमें वास्तव में रु. 4,22,908/- की राशि विद्यमान थी। सत्यापन पर यह पाया गया कि कथित चोरी घटित होने के

पश्चात भी उक्त अलमारी में रु. 79,000/- की राशि यथावत पाई गई। उत्तरवादीगण/प्राधिकारीगण द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तथा मात्र किसी प्रारंभिक जांच के आधार पर, याचिकाकर्ता पर सेवा से पृथक किए जाने का कठोर दंड आरोपित किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह प्राकृतिक न्याय एवं कार्यवाही में निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। अतः याचिका पूर्ण बकाया वेतन सहित स्वीकार किए जाने योग्य है।

5. उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री ए.एस. कच्छवाहा ने प्रति-तर्क में यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए कदाचार का पता लगाने हेतु की गई आंतरिक जांच एकपक्षीय थी। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र तामील नहीं कराया गया तथा उसे प्राधिकारीगण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि चूँकि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार करने के पश्चात पारित किया गया है, अतः उक्त आक्षेपित आदेश पारित किए जाने में कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा याचिका, जवाबदावा एवं याचिका तथा प्रत्युत्तर के साथ संलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया। यह स्वीकृत स्थिति है कि कोई विभागीय जांच नहीं की गई तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पारित किया गया।

7. नियम, 1975 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विरचित किए गए हैं, जो आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं। याचिकाकर्ता एक आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी था। उत्तरवादिगण/प्राधिकारीगण ने नियम, 1975 के नियम 13(**vii**) के अंतर्गत याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया है। नियम, 1975 का नियम 14 दंड आरोपित किए जाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जो निम्नानुसार है :

"14. दंड आरोपित करने की प्रक्रिया— (1) नियम 13 के खंड (**vi**), (**vii**) एवं (**viii**) में

निर्दिष्ट किसी भी दंड को आरोपित करने का कोई आदेश, निम्नलिखित के अतिरिक्त

पारित

नहीं किया जाएगा-

(i) जहाँ संभव हो, कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव तथा जिन आरोपों के आधार पर ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित है, उनके संबंध में लिखित रूप से अवगत कराया जाए।

(ii) यथाशीघ्र, कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाए।

(iii) ऐसा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उस पर विचार किया जाए।

परंतु यह भी कि— (1) किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना बर्खास्त नहीं किया जाएगा; तथा आगे यह भी कि (2) जहाँ विभागाध्यक्ष राज्य की सुरक्षा के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से पृथक करना आवश्यक समझे, वहाँ ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित लिखित आदेश, कर्मचारी को सुपुर्द किए जाने पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा; और यदि कर्मचारी उक्त आदेश की सुपुर्दगी स्वीकार करने से इंकार करता है, तो उसे उस स्थापना के सूचना-पट पर, जिस पर वह कार्यरत है, चस्पा किया जाएगा तथा सूचना-पट पर किया गया ऐसा चस्पा किया जाना, उस पर तामील माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अनूप जायसवाल बनाम भारत सरकार एवं अन्य* प्रकरण में, अनुच्छेद 12 में निम्नानुसार अवलोकन किया है :

"12. अतः अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जहाँ आदेश का स्वरूप मात्र कदाचार के आधार पर बर्खास्तगी के आदेश का आवरण मात्र हो, वहाँ जिस न्यायालय के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी गई है, वह आदेश के बाह्य स्वरूप से परे जाकर उसके वास्तविक स्वरूप का निर्धारण कर सकता है। यदि न्यायालय यह पाता है कि यद्यपि आदेश के रूप में वह मात्र सेवा की समाप्ति का आदेश प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः वह दंडात्मक आदेश का आवरण है, तो मात्र आदेश के स्वरूप के कारण न्यायालय को

कर्मचारी को विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी करने से वंचित नहीं किया जा सकता।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *चन्द्र प्रकाश शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य* प्रकरण में, अनुच्छेद 12 में निम्नानुसार अवलोकन किया है :

"12. अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अस्थायी शासकीय सेवक अथवा परिवीक्षाधीन कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों के समान ही, संविधान के अनुच्छेद 311(2) के संरक्षण के अधिकारी हैं, इस तथ्य के बावजूद कि अस्थायी शासकीय सेवकों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता तथा उनकी सेवाएँ सेवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अथवा ऐसी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले प्रासंगिक वैधानिक नियमों के अंतर्गत, बिना कोई कारण बताए, एक माह की सूचना देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। अतः न्यायालय किसी निर्दोष शब्दावली में व्यक्त आदेश के आवरण को हटाकर आदेश के वास्तविक स्वरूप का परीक्षण कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि क्या वह आदेश अपने शब्दों के अनुसार वास्तव में निर्दोष है। (देखें : *परशोतम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ*).

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि अकार्यकुशलता, लापरवाही अथवा कदाचार ऐसे कारक हो सकते हैं, जिनके कारण सरकार सेवा अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत अथवा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले वैधानिक सेवा नियमों के अधीन किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त करने के लिए प्रेरित हो; दूसरे शब्दों में, ये कारक सेवा समाप्ति का 'प्रेरक' हो सकते हैं, किंतु मात्र प्रेरक होने से आदेश दंडात्मक नहीं हो जाता, जब तक कि आदेश उन कारकों अथवा अन्य अयोग्यताओं पर 'आधारित' न हो।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *पवनेन्द्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अन्य* प्रकरण में, अनुच्छेद 21 में निम्नानुसार अवलोकन किया है :

"21. यह निर्धारित करने के लिए कि वस्तुतः सेवा-समाप्ति का आदेश दंडात्मक है अथवा नहीं, न्यायालय द्वारा विकसित परीक्षणों में से एक यह है कि क्या सेवा-समाप्ति से पूर्व— (क) पूर्ण रूप से औपचारिक जांच की गई थी, (ख) ऐसी जांच नैतिक पतन अथवा

कदाचार से संबंधित आरोपों के संबंध में की गई थी, तथा (ग) जो दोषसिद्धि के निष्कर्ष पर समाप्त हुई थी। यदि ये तीनों तत्व विद्यमान हों, तो सेवा-समाप्ति को, सेवा-समाप्ति आदेश के स्वरूप की परवाह किए बिना, दंडात्मक माना गया है। इसके विपरीत, यदि इन तीनों तत्वों में से कोई एक भी अनुपस्थित हो, तो सेवा-समाप्ति को वैध ठहराया गया है।"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम बलबीर सिंह* प्रकरण में, अनुच्छेद *7* में निम्नानुसार अवलोकन किया है :

"*7*. अतः यह सिद्धांत है कि यह निर्धारित करने के लिए कि कदाचार सेवा-समाप्ति आदेश का 'प्रेरक' है अथवा उसका 'आधार', जिस परीक्षण को अपनाया जाना है, वह यह प्रश्न करना है कि 'जांच का उद्देश्य' क्या था। यदि किसी कर्मचारी द्वारा किए गए किसी कदाचार का पता लगाने के उद्देश्य से जांच अथवा आकलन किया जाता है, और यदि उसी कारण से उसकी सेवाएँ समाप्त की जाती हैं, तो ऐसी सेवा-समाप्ति दंडात्मक प्रकृति की होगी। दूसरी ओर, यदि ऐसी जांच अथवा आकलन का उद्देश्य किसी विशिष्ट पद के लिए कर्मचारी की उपयुक्तता का निर्धारण करना हो, तो ऐसी सेवा-समाप्ति साधारण सेवा-समाप्ति होगी और दंडात्मक प्रकृति की नहीं मानी जाएगी। यह सिद्धांत माननीय न्यायमूर्ति शाह (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा वर्ष 1961 में *उड़ीसा राज्य बनाम रतु नारायण दास* प्रकरण में प्रतिपादित किया गया था। यह भी प्रतिपादित किया गया कि 'जांच के उद्देश्य अथवा प्रयोजन' को देखा जाना चाहिए और मात्र पूर्ववर्ती जांच के कारण ही सेवा-समाप्ति को दंडात्मक नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह कि (सेवा-समाप्ति का आदेश) बर्खास्तगी का आदेश है अथवा नहीं, यह, यदि कोई जांच की गई हो, तो उस जांच की प्रकृति, उसमें अपनाई गई कार्यवाही तथा ऐसी जांच के आधार पर पारित अंतिम आदेश के सार-तत्व पर निर्भर करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम सुरिंदर सिंह* प्रकरण में, अनुच्छेद 19 में निम्नानुसार अवलोकन किया है :

"19. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वह परिवीक्षाधीन हो अथवा अस्थायी, बिना किसी तर्क अथवा कारण के मनमाने ढंग से पदच्युत या पदावनत

नहीं किया जाएगा। जहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी यह संतुष्ट होने के लिए कि संबंधित कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा जाए या नहीं, इस उद्देश्य से जांच करता है, वहाँ यह मान लेना अनुचित होगा कि की गई जांच वास्तव में दंड आरोपित करने के उद्देश्य से की गई थी। यदि प्रत्येक ऐसे मामले में, जहाँ किसी प्रकार की तथ्य-संग्रहात्मक जांच की जाती है—जिसमें कर्मचारी को या तो स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाता है अथवा जांच उसके अनुपस्थित रहते हुए की जाती है—सेवा से पृथक किए जाने अथवा सेवा-समाप्ति के आदेश को दंडात्मक प्रकृति का मान लिया जाए, तो संबंधित कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा जाए या नहीं, यह निर्णय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया कोई भी सद्भावनापूर्ण प्रयास भी दंडादेश कहे जाने के जोखिम में पड़ जाएगा ....."

13. आक्षेपित आदेश दंडात्मक प्रकृति का है तथा उक्त आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के उल्लंघन में पारित किया गया है, साथ ही यह प्राकृतिक न्याय एवं कार्यवाही में निष्पक्षता के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. प्रकरण के तथ्यों में, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि का निर्धारण करने हेतु कोई विधिवत् एवं औपचारिक जांच किए बिना उसकी सेवा से पृथक किया गया है। यह स्थापित नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार से कथित चोरी में संलिप्त था। अतः याचिकाकर्ता को बिना औपचारिक जांच किए तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना सेवा से पृथक किए जाने का आदेश प्राकृतिक न्याय एवं कार्यवाही में निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

15. उपर्युक्त कारणों एवं विश्लेषण के आधार पर, दिनांक 22.05.2004 का आक्षेपित आदेश (अनुबंध **P**/1) निरस्त किया जाता है। बकाया वेतन प्रदान किए जाने के प्रश्न पर, याचिकाकर्ता के लाभकारी रोजगार के संबंध में कोई आधार स्थापित नहीं किया गया है। चूँकि याचिकाकर्ता को कार्य करने एवं अपनी आजीविका अर्जित करने से वंचित रखा गया है, अतः याचिकाकर्ता को न्याय के हित में 40% बकाया वेतन प्रदान किए जाने का अधिकार है।

16. उपर्युक्त कारणों तथा ऊपर उद्धृत विभिन्न प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, याचिका 40% बकाया वेतन सहित स्वीकार की जाती है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- Apeksha Jaiswal